कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.– 07662–241655 | ई–मेल– deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स नं.– 07662–251167 | वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

क्रमांक ..../स्था./अराज./एमसी/2023 रीवा, दिनांक ....

द्वितीय अनुपूरक-अधिसूचना

म.प्र. नर्सेस शिक्षण संस्थान मान्यता नियम, 2018 में संशोधन दिनांक 01 अगस्त, 2022 में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 21892/स्था./अराज./एमसी/2022, रीवा, दिनांक 20.09.2022, अनुपूरक अधिसूचना क्रमांक 26445/स्था./अराज./एमसी/2022, रीवा, दिनांक 11.11.2022 एवं आदेश क्रमांक 28873/स्था./अराज./एमसी/2022, रीवा, दिनांक 13.12.2022 द्वारा अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों को चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में शैक्षणिक सत्र 2021–22 में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सहमति निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई थी।

उक्त अधिसूचना में उल्लेखित अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के अतिरिक्त नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय को चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में उपलब्ध विस्तरों की संख्या के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021–22 में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सहमति निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:–

क्र.	आवेदन दिनांक	निजी नर्सिंग कॉलेज का नाम एवं पता	पाठयक्रम	वर्ष	छात्रों की संख्या	कॉलम 6 में उल्लेखित छात्र संख्या के क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु आवंटित बिस्तरों की संख्या	आवंटन अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	08.12.2022	टी.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सेंटर, सिरमौर रोड, लक्ष्मणपुर, रीवा म.प्र.	एम.एस.सी नर्सिंग (Obstetrics and Gynaecology)	द्वितीय	03	15	फरवरी–2023 से अप्रेल–2023 तक
			एम.एस.सी नर्सिंग (Pediatric)	द्वितीय	02	15	
			एम.एस.सी नर्सिंग (Medical Surgical)	प्रथम	01	15	
			एम.एस.सी नर्सिंग (Obstetrics and Gynaecology)	प्रथम	02	15	
			जी.एन.एम. नर्सिंग	द्वितीय	40	100	जुलाई–2023 से सितम्बर–2023 तक
			जी.एन.एम. नर्सिंग	तृतीय	15		
			पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	प्रथम	25	100	जुलाई–2023 से सितम्बर–2023 तक
			पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	द्वितीय	25		

क्रमशः पेज...02

शर्तें:—

1. प्रशिक्षण शुरू होने के पूर्व स्वशासी समिति की कार्यकारिणी एवं सामान्य सभा की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार **रूपये—2,.50000/— (रूपये दो लाख पचास हजार)** सुरक्षा निधि के रूप में **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा** के नामे डी.डी. जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी। प्रशिक्षण काल में किसी भी तरह के क्षति होने पर समिति द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति जमा नही करने की दशा में उतनी राशि जमा सुरक्षा निधि मे से काट कर शेष राशि ही वापस की जावेगी।
2. क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु **प्रति छात्र रूपये 2,000/—(दो हजार)** की दर से प्रशिक्षण शुल्क रूपये चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के स्वशासी निधि में पूर्व से ही जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. छात्रों को प्रशिक्षण देते समय चिकित्सालय में संबंधित संस्था का एक शिक्षक प्रति दस प्रशिक्षणार्थी नर्सेस छात्र के दर से रहना अनिवार्य होगा। जो कि छात्रों के अनुशासन को बनाये रखने के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा।
4. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा अनुशासनहीनता करने पर प्रशिक्षण को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा की गई समस्त राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. छात्रों को प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय से संबंधित संस्था द्वारा तैयार क्लीनिकल प्रशिक्षण रोस्टर पर स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
6. क्लीनिकल प्रशिक्षण का अनुमति आदेश संबंधित संस्था द्वारा सरल क्र. 01 एवं 02 के पालन उपरांत पृथक से जारी किया जावेगा।

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 2650-59 /स्था/अराज/एमसी/2023 रीवा, दिनांक 30/1/23

प्रतिलिपि—

1. रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
3. प्राचार्य, टी.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सेंटर, सिरमौर रोड, लक्ष्मणपुर, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)